

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (सेवानिवृत्त) अलेसे-1/4671-4750

दिनांक:- 25-09-13

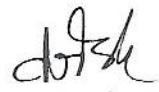
आदेश संख्या: 253 /2013-14

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. (6) एफडी/रुल्स/98 दिनांक 24.5.04 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को (मध्यान पश्चात्) से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम स0ले0अ0 (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन	जन्मतिथि	से0नि0 तिथि
1	2	3	4	5
1	बनवारी लाल शर्मा	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) चूरु	03.04.54	30.04.14
2	नारायण सिंह राजोरा	उपकोष डूंगला (चित्तौडगढ़)	01.05.54	30.04.14
3	चिरंजीलाल वर्मा	उपकोष पहाडी (भरतपुर)	03.05.54	31.05.14
4	अरुण कुमार गुप्ता	पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर	07.05.54	31.05.14
5	कन्हैयालाल गुप्ता	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय द्वितीय, जयपुर	10.05.54	31.05.14
6	ओम प्रकाश वर्मा	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली	12.05.54	31.05.14
7	हरिराम गुप्ता	उपकोष उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)	01.06.54	31.05.14
8	हरिवल्लभ शर्मा	उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, सचिवालय, जयपुर	04.06.54	30.06.14
9	विजेन्द्र कुमार गर्ग	जिला कलेक्टर एवं आपदा प्रबन्धन उदयपुर	04.06.54	30.06.14
10	सुरेश चन्द शर्मा	महानिरीक्षक पुलिस रेंज द्वितीय जयपुर	05.06.54	30.06.14
11	गोविन्दनारायण तिवाड़ी	वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त ए, जोधपुर	05.06.54	30.06.14
12	गोर्धन जोशी	जिला परिषद्, नरेगा, जोधपुर	01.07.54	30.06.14
13	हरिराम कासनिया	जिला शिक्षा अधिकारी-1 (माध्यमिक) सीकर	01.07.54	30.06.14
14	ओमप्रकाश गर्ग	संयुक्त निदेशक, स्थान.अंके.विभाग क्षेत्रीय, जयपुर	01.07.54	30.06.14
15	शंकरलाल टेलर	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर	01.07.54	30.06.14
16	मोहन लाल गुप्ता	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ, जयपुर	02.07.54	31.07.14
17	हरिसिंह राठौड़	अति. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर	04.07.54	31.07.14
18	रामसुख गहलोत	जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर	05.07.54	31.07.14
19	महावीर प्रसाद खट्वा	निदेशालय, स्थान.अंके.विभाग जयपुर	10.07.54	31.07.14
20	नवल किशोर गुप्ता	उपकोष चौथ का बरवाडा(स.माधोपुर)	15.07.54	31.07.14
21	नोरतमल प्रजापति	उपकोष पीसांगन (अजमेर)	19.07.54	31.07.14
22	दुर्गाशंकर भट्ट	आयुक्त, देवरथान विभाग, उदयपुर	31.07.54	31.07.14
23	नवनीत लाल श्रीमाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर	02.08.54	31.08.14
24	नोरतमल जैन	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, जयपुर	03.08.54	31.08.14
25	हर्षवर्द्धन शर्मा	आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग बीकानेर	10.08.54	31.08.14
26	लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल	जिला कलेक्टर (राजस्व) झालावाड़	12.08.54	31.08.14
27	द्वारका प्रसाद सैनी	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कोषालय सीकर	14.08.54	31.08.14
28	महावीर प्रसाद शर्मा	जिला परिषद् (नरेगा) चूरु	15.08.54	31.08.14
29	ओमप्रकाश विजय	वित्त (व्यय-3) सचिवालय जयपुर	15.08.54	31.08.14
30	रामचरण कारेला	अधीक्षण अभियन्ता, सीएडी वृत्त इगानप, हनुमानगढ़	17.08.54	31.08.14
31	कृष्णचन्द सैनी	उपकोष कटूमर (अलवर)	23.08.54	31.08.14
32	हरीशंकर शर्मा	निदेशक जन सम्पर्क विभाग, जयपुर	25.08.54	31.08.14

33	बद्रीसिंह सामोता	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम, जयपुर	01.09.54	31.08.14
34	गोरीशंकर	चेयरमैन, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	15.09.54	30.09.14
35	वासुदेव आसनाणी	राजस्व मण्डल अजमेर	19.09.54	30.09.14
36	गिराज व्यास	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर	21.09.54	30.09.14
37	लूण सिंह	जिला परिषद, पाली	21.09.54	30.09.14
38	फतेह सिंह	कोषाधिकारी, ई-ट्रेजरी, जयपुर	29.09.54	30.09.14
39	राजगोपाल शर्मा	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल जयपुर	30.09.54	30.09.14

यहां यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्र.सं. 18 एवं 26 पर अंकित क्रमशः श्री रामसुख गहलोत एवं श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारियों के विरुद्ध सीसीए 16 में एवं क्र.सं. 24 पर अंकित श्री नोरतमल प्रजापति, सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध सीसीए 17 में जांच विचाराधीन है, शेष सभी सहायक लेखाधिकारियों के विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि तक निदेशालय में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 के अन्तर्गत कोई जांच लम्बित नहीं है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (सेवानिवृत्त) अलेसे-1/ 4671-4750

दिनांक:- 25-09-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
3. कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित / प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
4. श्री सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली / गार्ड फाइल।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)